प्रपत्र-ब

राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

आवेदन संख्या/दिनांक .45.15454/.01-03-2020

एपीएल/स्टेट बीपीएल/बीपीएल/अन्त्योदय राशन कार्ड में जारी यूनिटों में संशोधन, पता परिवर्तन एवं डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाये जाने का आवेदन फार्म

सामान्य विवरण – '*' चिन्हित र राशन कार्ड संख्या (12 डिजिट) राशन कार्ड में दर्ज मुखिया का नाम	1	वश्यक रू 1 वीर कुम	3 2	जानी है।	5	5	5 5	5	5 5	4	
मुखिया के पिता का नाम	<u> </u>	राम लाल माता का नाम सीता देवी									
मोबाइल नम्बर	8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	
ई-मेल पता											
राशन कार्ड में दर्ज पता	मकान	मकान नम्बर/मकान का नाम मौहत				मौहल्ला	मौहल्ला/कॉलोनी/लैंड मार्क/लोकैलिटी				
महावीर नगर											
*पंचायत समिति :	*ग्राम प	वंचायत :				*ग्राम/र	वार्ड सं. :				आवेदक के हस्ताक्षर
(केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)	(केवल ग्र	ामीण क्षेत्र हेत्	नु लागू)			(केवल ग्र	ामीण क्षेत्र हे	तु लागू)			
*नगर निगम/नगरपालिका/परिषद :	*नगर निगम/नगर परिषद/परिषद का वार्ड नं. :			वार्ड नं. :	*जिलाः पाली				Jam holan		
(केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू) तखतगढ़	(केवल शह	हरी क्षेत्र हेतु लागृ)	12	15	पिन नम्ब	3	6	9 6	6 6	CV4.09
२ मेरा उक्त राशनकाई उचित म	ल्य दका	न सं		नाम ट	कानदार						का था जे

3. मैं निवास स्थान बदलने के कारण राशन कार्ड में दर्ज पता परिवर्तन हेतु आवेदन करता / करती हूँ। कृपया निम्नानुसार मेरे राशन कार्ड में दर्ज पता परिवर्तित करें-

राशन कार्ड में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में	मकान नम्बर/मकान का नाम	मौहल्ला/कॉलोनी/लैंड मार्क/लोकैलिटी			
नया पता : '*' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है।	MA				
*पंचायत समिति:	*ग्राम पंचायतः	*ग्राम/वार्ड सं. :			
(केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)	(केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)	(केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)			
*नगर निगम/नगरपालिका/परिषद :	*नगर निगम/नगर परिषद/परिषद का वार्ड नं. :	*जिला :			
(केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू)	(केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू)	पिन नम्बर			
बिन्दु 3 में जिस मकान का पता दिया है वह मेरी निजी सम्पत्ति / कच्ची बस्ती सर्वे युक्त सम्पत्ति है / मैं किराये के मकान में निवास करता / करती हूँ।					

या राजस्थान राज्य से बाहर निवास करने के कारण समर्पण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करता / करती हूँ।

4. मैं निम्नांकित नामों को सम्मिलित करने के लिए आवेदन करता / करती हूँ -

क्र. सं.	नाम*	माता का नाम*	पिता का नाम*	जीवन साथी का नाम यदि विवाहित है तो	लिंग* M/F/ Other	जन्म दिनांक*	मुखिया से संबंध*	यूनिक आईडी UID/आधार क्रमांक	विकलांग (हां/ना)	विधवा/ परित्यक्ता (हां/ना)
1.	ममता कुमारी	सीता देवी	महावीर	बेटी	F	01-02-2	0 बेटी		ना	ना
2.				e-				× -		
3.			82							2
4.				1						

नोट – '*' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने पर क्रम सं. 4 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ देवें।

5. मैं निम्नांकित नामों को मेरे परिवार राशन कार्ड से घटाने/समर्पण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ-

क्र.	नाम*	लिंग*	मुखिया से	घटाने का कारण	समर्पण प्रमाण-पत्र कहाँ के लिए जारी करना है
सं.		M/F/Other	संबंध*		
1.					
2.	e 1				y
3.		N	A	6	8
4.					
5.					
6.	- u				

नोट - '*' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने पर क्रम सं. 6 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ देवें।

हस्ताक्षर आवेदक

6.	राशन कार्ड की विशिष्टियों की त्रुटियों में परिवर्धन/संशोधन :- उदाहरणार्थ वर्तनी शुद्धि, पिता/माता का नाम, पता, गैस कनेक्शन सम्ब	न्धी विशिष्टियां, आयकरदाता सम्बन्धी				
	प्रविष्टियां, उचित मूल्य दुकान विवरण की विशिष्टियां, राशनकार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों के नाम, आयु, जन्म दिनांक व मुखिया से सम्बन् राशनकार्ड में अशुद्धि/वांछित परिवर्धन योग्य विशिष्टि पर आवेदक द्वारा गोला कर सही विशिष्टि स्वयं के हस्ताक्षर से अंकित की जावे तथा मूल	ध में संशोधन करवाने के लिए जारी मूल राशनकार्ड आवेदन फार्म के साथ संलग्न				
	किया जावे। यदि त्रुटि आवेदक के मूल फार्म में भरी गयी सूचना से मिलान करती है तो आवेदक को परिवर्धन एवं संशोधन के सम्बन्ध में दस्ताहे	ज प्रस्तुत करने होंगे।				
	वर्धन/संशोधन का संक्षिप्त विवरण –					
	ममता कुमारी का नाम जोड़ना है					
7.	घोषणायें :-					
	– घोषणा का जो बिन्दु लागू नहीं हो उसे काट देवें।					
	। मेरा आयकर विभाग का पेन क्रमांकहैं। मेरे राशन कार्ड में ''मैं आयकर दाता हूँ/नहीं हूँ'' अंकित है जिसके स्था	8				
(47)	िलखा जावे क्योंकि मैं आयकर दाता हूँ,/नहीं हूँ।	148				
(ख)) मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन नंगैस एजेन्सीडीबीसी/ए	सबीसी अंकित है जिसके स्थान पर गैस				
	कनेक्शन नंडीबीसी/एसबीसी अंकित कि	या जावे या मेरे पास गैस कनेक्शन नहीं है				
	अतः मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन सम्बन्धित प्रविष्टी हटाई जावे।					
(ग)	मेरा नाम बीपीएल/स्टेट बीपीएल चयन सूची वर्ष	वर्षक्रमांक मुझेश्रेणी का राशन				
(ঘ)	इस प्रपत्र के बिन्दु 4 में वर्णित सदस्यों का नाम पहले से किसी भी अन्य प्रचलित राशनकार्ड में नहीं है और ना ही इस हेतु पहले कहीं आवेदन किया लेता है।	गया है। न ही कोई सदस्य सेना से राशन				
(ङ)	इस प्रपत्र के बिन्दु 3 में जिस मकान का पता दिया है वह मेरी निजी सम्पत्ति है/मैं किराये के मकान में निवास करता हूँ।					
	हस प्रपत्र के बिन्दु 5 में श्री/श्रीमती/सुश्री					
	मृत्यु के बाद मैं ही घर में वरिष्ठ सदस्य हूँ, इनके राशन कार्ड में मेरा नाम दर्ज है, अतः इनका नाम विलोपित करते हुए मेरे नाम से परिवार मुखिया वे	ज्ञ रूप में परिवर्धित राशन कार्ड जारी करें।				
(छ)	इस प्रपत्र के बिन्दु 6 के क्रम में मेरे द्वारा मूल राशन कार्ड में मेरे द्वारा अशुद्धि/वांछित परिवर्धनीय विशिष्टि पर गोला कर शुद्ध वर्तनी/परिवर्धित वि कार्ड में शुद्ध किया जावे।	शिष्टि अंकित की गयी है जिसे मेरे राशन				
(ज)	में और मेरा परिवार राशन कार्ड का उपयोग राशन वस्तुएं प्राप्त करने के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु नहीं करेगा।					
	मुझे पता है कि राशनकार्ड सरकार की सम्पत्ति है। इसे जब भी सक्षम अधिकारी प्रस्तुत करने को कहेंगे में प्रस्तुत कर दूंगा। तथ्यों की जांच कभी जाने पर मेरा राशनकार्ड निरस्त किया जा सकता है तथा कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।	भी की जा सकती है। गलत सूचना पाये				
(স)	इस प्रपत्र के बिन्दु 1 से 7 में दी गई समस्त जानकारी सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।					
	नः तख्तगढ	Jan herlan				
	कः12/03/2020					
14 11		हस्ताक्षर आवेदक				
ಕರು 1	सत्यापन साम के किन 3 में दिए गए मकान के एने एवं भी (शीपनी /साशी					
यदि	प्रपत्र के बिन्दु 3 में दिए गए मकान के पते पर श्री/श्रीमती/सुश्रीत त अवधिसे निवास कर रहे हैं। यह मकान मेरी निजी सम्पत्ति है। (बिन्दु 3 लागू होने पर ही सत्यापन कराया जाना	परिवार				
VIIQ	त रामान नरा मिणा सम्यात है। (बिन्दु उ लागू होने पर ही संदर्शपने करीयो जीनी					
-		हस्ताक्षर मकान मालिक				
	कार्यालय/कियोस्क द्वारा कार्यवाही चैक लिस्ट					
क्या	आवेदक द्वारा आवेदन फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ स्वयं के फोटो सहित मय हस्ताक्षर एवं मकान मालिक के हस्ताक्षर करा कर प्रस्तुत कि	या है? हाँ/नहीं				
	न दस्तावेजों का विवरण : (सभी संलग्नक आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित किये जाने आवश्यक हैं)					
1.	पूर्व राशन कार्ड निरस्तीकरण बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल समर्पण प्रमाण-पत्र।	हाँ/नहीं				
2.	निवास बाबत प्रमाण यथा बिजली/पानी बिल, नगर निकाय की गृहकर रसीद, वोटर पहचान पत्र की फोटो प्रति।	हाँ/नहीं				
3.	नवविवाहिता का नाम दर्ज कराने हेतु पिता के राशनकार्ड से नाम कम कराने/शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति।	हाँ/नहीं				
4.	बच्चे का नाम दर्ज कराने हेतु नगर निगम/नगरपालिका/पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र या बच्चा गोद लेने के सर्टिफिकेट की प्रति।	हाँ/नहीं				
5.	डुप्लीकेट राशनकार्ड हेतु पूर्व प्रचलित कार्ड की फोटो प्रति/शपथ पत्र या कटा/फटा/विरूपित राशनकार्ड।	हाँ/नहीं				
6.	मूल राशन कार्ड।					
7.	उम्र में परिवर्तन कराने हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा शिक्षा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।	हाँ/नहीं च्यूँ/ १				
8.	नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र/तलाकनामे की स्वप्रमाणित प्रति/परित्यक्ता का स्वप्रमाणित शपथ-पत्र।	हाँ/नहीं चाँ/प्रे				
9.	नाम में परिवर्तन हेतु प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित शपथ-पत्र अथवा राजकीय मुद्रणालय से जारी गजट की स्वप्रमाणित फोटो प्रति।	हाँ/नहीं 				
	स्वप्रमाणित शपथ-पत्र।	हाँ/नहीं 				
	नाम जुड़वाने के लिए समर्पण प्रमाण–पत्र।	हाँ/नहीं				
	अन्य	हाँ/नहीं				
1 fee .	संलग्नकों की कुल पेज संख्या4					
	CO 144 44 3/C 144 COMMINIA	हस्ताक्षर लिपिक/कियोस्क धारी				
	100	कियोस्क की मोहर				